लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 11 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol.XI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 31, शनिवार, 23 दिसम्बर, 1967/2 पौष, 1889 (शक)
No. 31, Saturday, December 23, 1967/Pausa 2, 1889 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
18. दलाई लामा द्वारा खरीदी गई सम्पत्तियां	Purchases made by Dalai Lama ..	4391—4400
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	4400—4401
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति कार्यवाही सारांश	Committee on Government Assurances Minutes ..	4401
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bills ..	4402
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
तेइसवां प्रतिवेदन	Twenty third Report ..	4402
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	
छठवां प्रतिवेदन	Sixth Report ..	4402
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा के संविधान (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका	Petition Re. Constitution (Amendment) Bill by Shri Inder J. Malhotra ..	4402
सीमेंट के वितरण को विनियमित करने सम्बन्धी वक्तव्य	Statement Re. Cement distribution regulation ..	4403
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunath Reddi ..	4403
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced ..	4403
बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक	Banking Laws (Amendment) Bill ..	4403—4404
नागरिक प्रतिरक्षा विधेयक	Civil Defence Bill ..	4404
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
चौथा प्रतिवेदन	Fourth Report ..	4404—4405

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. International Situation	..	4405—4416
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	..	4405—4407
श्री न० कु० सांघी	Shri N. K. Sanghi	..	4407—4408
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	..	4408—4409
श्री प्रेमचन्द वर्मा	Shri Prem Chand Varma	..	4409
श्री बे० कु० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	..	4409—4410
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	..	4410
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	..	4410—4411
श्री सेक्वीरा	Shri Sequeira	..	4411
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	..	4411—4412
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	..	4412—4415
हरियाणा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Haryana State Legislature (Delegation of powers) Bill	..	4416—4424
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	..	4416
श्री के० एस० रामास्वामी	Shri K. S. Ramaswamy	..	4416—4417
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	..	4417—4418
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	4418
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shrichand Goel	..	4418—4419
श्री शशि भूषण वाजपेयी	Shri Shashibhushan Bajpai	..	4419
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	..	4419
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	..	4419—4420
श्री विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	..	4420—4421
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	..	4421
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	..	4421
श्री भोला नाथ	Shri Bhola Nath	..	4421
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	..	4421—4422
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	..	4422
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	..	4423—4424
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	..	4424

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha ..	4420
एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा सम्बन्धी विधेयक, 1967	Monopolies and Restrictive Trade Practices Bill, 1967 ..	4425—4428
संयुक्त समिति में सम्मिलित होने सम्बन्धी राज्य सभा की सिफारिश से सहमत होने का प्रस्ताव—स्वीकृत	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to join in Joint Committee —Adopted ..	4428
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunath Reddi ..	4425—4426
बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) विधेयक, 1967	Bihar and Uttar Pradesh (Altertation of Boundaries) Bill ..	4428—4429
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	4428
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla ..	4428—4429

लोक-सभा
LOK SABHA

शनिवार, 23 दिसम्बर, 1967/2 पौष, 1889 (शक)
Saturday, December 23, 1967/Pausa 2, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अल्प सूचना प्रश्न
Short Notice Question

दलाई लामा द्वारा खरीदी गई सम्पत्तियां

अ० सू० प्र० सं० 18. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा क्षेत्रों में, विशेष कर कांगड़ा में और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में चाय बागानों जैसी सम्पत्तियां बड़े पैमाने पर दलाई लामा के नाम में खरीदने के प्रयास किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके लिये धन संयुक्त राज्य अमरीका तथा कुछ अन्य पूंजीवादी पश्चिमी देशों से आ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क), (ख) और (ग). जैसा कि सदन की मेज पर रखे ब्योरे में बताया गया है, कुछ संपत्ति तिब्बती उद्योग पुनर्वास सोसायटी के नाम में खरीदी गई है। यह सोसायटी केन्द्रीय सहायता समिति से सहायता प्राप्त करती है जो कि भारत में एक गैर-सरकारी संगठन है। इस सहायता समिति ने भी अंशदान प्राप्त किया है जो कई विदेशी स्वयंसेवी संगठनों ने इकट्ठा किया था। भारत सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी विदेशी सरकार ने तिब्बती उद्योग पुनर्वास सोसायटी के कोष में कोई अंशदान दिया है।

विवरण

कानून के अन्तर्गत विदेशियों द्वारा भारत में जमीन और अन्य संपत्ति खरीदने पर कोई रोक नहीं है।

2. तिब्बती उद्योग पुनर्वास सोसायटी धर्मार्थ संस्था के रूप में 1860 के सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21—पंजाब एमेंडमेंट एक्ट 1967—के अन्तर्गत रजिस्टर की गई थी ; यह एक्ट दिल्ली के संघ प्रदेश पर लागू है। खबर है कि इस सोसायटी ने हिमाचल प्रदेश में निम्न-लिखित स्थानों पर जमीनें खरीदी हैं :

(1) बीर में चाय के दो बाग—जिनका कुल क्षेत्रफल 295 एकड़ है। इसके अलावा उन्होंने उसी इलाके में ऊनी मिल लगाने के लिए 16 एकड़ जमीन खरीदी है :

(2) पोआन्टा (हिमाचल प्रदेश) में 12 एकड़ ;

(3) सातों (हिमाचल प्रदेश) में 10 एकड़ ;

(4) कुमारी (हिमाचल प्रदेश) में 9 एकड़।

ये जमीनें लगभग 600 तिब्बती शरणार्थी परिवारों को फिर से बसाने के लिए खरीदी गई हैं।

3. केन्द्रीय सहायता समिति (भारत) (एक गैर-सरकारी संगठन) ही एक ऐसी संस्था है जो सोसायटी को धन देती है। विदेशों में सहायता एजेंसियों द्वारा इकट्ठे किये गए स्वैच्छिक अंशदान किसी पुनर्वास यूनिट के पास सीधे नहीं भेजे जाते बल्कि केन्द्रीय सहायता समिति (भारत) के जरिये जाते हैं। भारत सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि किसी विदेशी सरकार ने तिब्बती उद्योग पुनर्वास सोसायटी को कोई अंशदान दिया है ;

4. विदेशों में लोगों ने स्वेच्छा से जो अंशदान दिया है, वह निम्नलिखित एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त हुआ है :

(क) यूरोपीयन कैम्पेन कमेटी 1966 ;

(ख) नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल ;

(ग) स्विस एड टू टिबेटन्स ;

(घ) कैथालिक रिलीफ सर्विसिज।

5. कानून की व्यवस्था के अनुरूप, जिसके अन्तर्गत सोसायटी रजिस्टर की गई है, सोसायटी के खातों का परीक्षण किया गया है और उसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सहायता समिति (भारत) के पास सुलभ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दलाई लामा इस देश में एक शरणार्थी के रूप में आये थे और हमारी सरकार ने उनको शरण दी थी। अब वह राजनीतिक कार्यवाहियों में भाग ले रहे हैं।

बैलजीयन दलाई लामा को सहयोग दे रहे हैं जो कि अमरीकियों से वित्त प्राप्त कर रहे हैं। पी० एल० 480 सहित दलाई लामा को अब तक कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि दलाई लामा इस देश में राजनीतिक कार्यवाही कर रहे हैं। यह राजनीतिक कार्यवाही नहीं है। तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये उन्होंने धर्मार्थ संस्थाएं स्थापित की हैं। विदेशी अभिकरणों से उन्हें लगभग 54.68 लाख रु० की सहायता प्राप्त हुई है। पी० एल० 480 के अन्तर्गत कितनी सहायता प्राप्त हुई है, इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। वास्तव में हमें पता नहीं है कि विदेश सरकारों से कोई पैसा आया है। विदेशों से जो भी पैसा आया है वह धर्मार्थ संस्थाओं से आया है। ये सब गैर-सरकारी संगठन हैं और इनमें सरकार का कोई दखल नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दलाई लामा द्वारा भारत में कुल कितने मूल्य की चल सम्पत्ति लाई गई और कितने मूल्य की भारत से बाहर भेजी गई। भारत, दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थियों के विभिन्न संस्थानों को क्या-क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उनके लिये कितने विदेशी काम कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : दलाई लामा द्वारा लाई गई सम्पत्ति का ब्योरा मेरे पास नहीं है। जहां तक इस विशिष्ट संस्था का सम्बन्ध है इसने 20,000 रु० का अंशदान दिया है।

श्री उमानाथ : क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर गया है कि दलाई लामा के ये कार्यालय अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र और जासूसी के केन्द्र बन गये हैं; यदि नहीं तो यह सुनिश्चित करने के लिये कोई व्यवस्था है कि विदेशों से प्राप्त सहायता केवल मानवीय प्रयोजनों के लिये ही प्रयोग की जाती है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय सदस्यों को शायद कुछ गलतफहमी है कि यह संस्था केवल दलाई लामा के प्रतिनिधियों द्वारा ही चलाई जा रही है। इस संस्था का एक शासी निकाय है जिसमें सात व्यक्ति हैं जिनमें 3 भारतीय हैं 3, तिब्बती हैं और एक विदेशी है और डा० गोपाल सिंह संसद् सदस्य जो कि एक विख्यात व्यक्ति हैं, इस संस्था के अध्यक्ष हैं। विभिन्न विदेशी अभिकरणों द्वारा इकट्ठी की गई निधियां केन्द्रीय राहत समिति नामक एक गैर-सरकारी निकाय में चली जाती हैं। इन राशियों को प्राप्त करना, उनका समन्वय और वितरण करना इस समिति का कार्य है। समिति को संस्था की सारी कार्यवाहियों की पूरी जानकारी होती है।

Shri Prem Chand Verma : In view of the fact that the Dalai Lama has been permitted by the Government to purchase lands in the Kangra District of Himachal Pradesh, where the populace is predominantly poor and also in view of the fact that C. I. A. agents and Chinese agents are also operating there, will it not lead to the establishment of foreign bases there?

Shri Surendra Pal Singh : It is true that the major portion of the land purchased by him is in Himachal Pradesh. But I do not agree to the suggestion that land is being acquired by force. It is a matter of mutual agreement.

Shri Balraj Madhok: Is it not a fact that Dalai Lama and his followers want to purchase lands for rehabilitation of Tibetans in Ladakh which is more consonant from all points of view, but the laws of the Jammu and Kashmir State preclude them from doing so?

Shri Surendra Pal Singh: I have no information about this.

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने कहा कि विश्व की विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा दलाई लामा को धन दिया गया है। क्या चाय के बागानों का खरीदना भी धर्मार्थ कार्यों के अन्तर्गत आता है ? क्या सरकार दलाई लामा को इस देश में रह कर अपना काम करने के लिए उचित अधिकार देना चाहती है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : विदेशी अभिकरणों ने दलाई लामा को सहायता नहीं दी है। उन्होंने सोसायटीज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत इस विशिष्ट संस्था को सहायता दी है। उनके पुनर्वास कार्य पर हमने कोई पाबन्दी नहीं लगाई है। केवल राजनीतिक कार्यवाही न करने के लिए ही हमने उनको सलाह दी है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री को पता है कि दलाई लामा केवल वही कार्य कर रहे हैं जो उनके तिब्बत से आने के कारण आवश्यक हो गया था और उन्हें राजनीति प्रचार का वह अवसर नहीं दिया जा रहा है जो कि हाल ही में अफ्रीकी लीग को दिया गया है जो दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति के विरुद्ध प्रचार कर रही है ? मैं समझता हूं कि माओ के विरुद्ध दलाई लामा की भी वही राय होगी जो हमारी सरकार की है। हमारी सरकार उनको कोई सहानुभूति नहीं दिखा रही है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : दलाई लामा हमारे सम्मानित अतिथि हैं। उनकी कार्यवाहियों पर हमने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। उनको विदेशों से जो भी सहायता प्राप्त हो रही है वह उससे अपने देशवासियों के पुनर्वास का कार्य कर रहे हैं। हमने उन्हें केवल यह सलाह दी है कि वह ऐसी कोई राजनीतिक कार्यवाही न करें जिससे हमारे पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध खराब हों। माननीय सदस्य ने जिन बातों का उल्लेख किया है उनके सम्बन्ध में कोई मांग नहीं है।

Shri Shiv Chandra Jha: What is the amount of the total assets of Dalai Lama at present, how much of it is being spent in India for the propagation of his ideas and what are the names of his publications that have been brought out?

Shri Surendra Pal Singh: I have no information about this. I have already told about the funds received from countries by this particular society and the mode of their utilisation.

Shri Shashi Bhushan Bajpai: Has it been clarified to the Dalai Lama that Zamindari has been abolished in India which might not necessitate the transfer of lands to the tenants in future? Does he propose to build a Math also in India?

Shri Surendra Pal Singh: Some lands are being purchased by the Dalai Lama for his personal use. This question relates to the purchase of lands by that society for establishing

a factory to provide employment to the Tibetan refugees. I do not have the information regarding lands being purchased by Dalai Lama for his own use.

Shri Prakash Vir Shastri: Since lands are being purchased for the rehabilitation of Tibetan refugees, are we to take that Government have lost all hope of their repatriation? Have Government consigned that decision to the limbo of oblivion which it had taken after the Chinese aggression that we would liberate Tibet and give it to Dalai Lama?

Shri Surendra Pal Singh: The main question relates to the society and the Hon. Member has raised a question relating to policy which I am not able to answer.

श्री नाथपाई : अन्तर्राष्ट्रीय विधि में दलाई लामा तिब्बती लोगों की वैध सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए वह भारत सरकार द्वारा उचित मान्यता दिये जाने के लिए अनुरोध करते रहे हैं और यह भी कहते रहे हैं कि उन्हें अपना धार्मिक कार्य करने के लिए विदेश जाने की सुविधाएं दी जायें और यह भी कि अपने देश और लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने के लिये उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने की सुविधाएं दी जायें। इन विभिन्न अनुरोधों के प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह एक व्यापक प्रश्न है जिसका नीति से सम्बन्ध है। इस सभा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दलाई लामा स्थानीय सरकार के प्रमुख थे, परन्तु हमने तिब्बत पर चीन की अधिराजत्व स्वीकार किया है। माननीय सदस्य को पता है कि दलाई लामा हाल ही में जापान और अन्य स्थानों के दौरे पर गये थे। हमने इसके लिये सहर्ष अनुमति दे दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमें उनसे अब तक कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : चूंकि तिब्बती शरणार्थी भारत में बड़ी संख्या में आ रहे हैं, क्या सरकार दलाई लामा और उनके द्वारा तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए चलाये जा रहे संस्थानों को और अधिक सहायता देना चाहती है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस सम्बन्ध में दलाई लामा और उसके संगठनों द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसके अतिरिक्त तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास की, भारत सरकार की अपनी योजनाएं हैं। दोनों योजनायें साथ-साथ चल रही हैं।

Shri S. M. Joshi: As has been said the Dalai Lama wants lands in Ladakh for the rehabilitation of his people, but some difficulties are being experienced. Will Government give him lands in Ladakh for the rehabilitation of his people?

Shri Surendra Pal Singh: I have already stated that I do not have the information regarding Ladakh and Kashmir. If the Hon. Member wants any information regarding the society that I can give.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या दलाई लामा की सम्पत्तियां धनकर और आयकर से मुक्त हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या देश के सभी तिब्बती शरणार्थियों के संस्थान केन्द्रीय राहत समिति की देख रेख में काम कर रहे हैं ; यदि हां, तो इन विभिन्न संगठनों में कितने अमरीकी और ब्रिटेन के नागरिक काम कर रहे हैं और क्या उनको किसी प्रकार के विशेषाधिकार दिये गये हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : उपलब्ध जानकारी के अनुसार मैं केवल उस संस्था के बारे में बता सकता हूं जो हाल ही में पंजीकृत की गई। अन्य संस्थानों के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णमूर्ति : दलाई लामा हमारे एक शत्रु देश के शत्रु हैं और हमने उन्हें भारत में उनकी सभी कार्यवाहियों के लिये शरण दी है। क्या हमारे लिये दलाई लामा की सहायता करना और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर ऐसे देश के विरुद्ध बोलना, जो हमारे देश के हितों के लिये हानिकारक है, उचित है ?

वह भले ही अतिथि हों, परन्तु उन्हें भारत को कठिनाइयों में नहीं डालना चाहिये। दलाई लामा को संरक्षण देने से पहले हमारे हितों की रक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : अपने देश के हितों का ख्याल हम सबसे पहले रखते हैं। दलाई लामा को शरण हमने मानवीय कारणों से दी थी जैसा कि किसी भी सभ्य देश को करना चाहिये। मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं उठाया गया है और इसलिये इसको यहां उठाने का प्रश्न नहीं है।

Shri Hem Raj : Since a large number of Tibetan refugees have purchased lands here, will they be conferred the rights of citizenship ? Is it also a fact that Dalai Lama wanted to settle in U. P., but the people there represented that he should be kept at Dharamsala and removed from there ?

Shri Surendra Pal Singh : I am not aware that Dalai Lama wanted to settle in U. P. and that he was not allowed to do so. Lands are not being purchased directly by the Tibetans, it is the Society that is purchasing lands to rehabilitate the Tibetan refugees. In these circumstances if they want to be conferred with the rights of citizenship, these can be conferred on them subject to our rules and regulations.

Shri Ramavtar Shastri : What is the total amount of expenditure incurred on the hospitality of Dalai Lama ever since he came here and what is the justification for such expenditure ?

Shri Surendra Pal Singh : This is a wide question. As regards the question of giving aid to him, he does not require any aid, still, he was given assistance when it was needed. The Central Relief Committee is giving aid to him. Some grants-in-aid are given to this Committee to meet its annual expenses. But no demand has been made by Dalai Lama.

श्री कार्तिक ओराओं : जिन-जिन स्थानों पर नई परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है, वहां पर आदिवासी विस्थापित होते जा रहे हैं और उनको बसाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये

गये हैं। क्या यह सच नहीं है कि पुनर्वास के मामले में विदेशियों को अधिक अच्छा समझा जाता है जबकि भारतीयों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : माननीय सदस्य की यह बात सही नहीं है। यह सच है कि विदेशियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं और वे जहां चाहें सम्पत्ति खरीद सकते हैं और बस सकते हैं। परन्तु ऐसा मानवीय आधार पर किया जाता है। परन्तु यह कहना कि हम अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, सही नहीं है। अपने नागरिकों को सभी संभव सहायता दी जाती है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Our Government had accepted the Suzerainty of China over Tibet on certain conditions, but China is flagrantly violating the terms of agreement. In view of the hostile attitude of China and atrocities being perpetrated on the Tibetans there, do Government propose to recognise Dalai Lama as the independent head of Tibet and given him all possible help ?

Shri Surendra Pal Singh : It is true that China did not comply fully the conditions and that Tibetans are being subjected to oppression there. As regards the second part of the question, I would not like to say more than what I have already stated.

Shri Kanwar Lal Gupta : What is the harm in giving a reply ?

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या इस सम्पत्ति को खरीदने से पहले दलाई लामा या उसके किसी संगठन ने केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त की थी या कोई बातचीत की थी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं केवल सोसाइटीज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत विशिष्ट संस्था द्वारा खरीदी गई सम्पत्ति के बारे में ही उत्तर दे सकता हूं। जैसा कि मैंने वक्तव्य में बताया किसी भी संस्था पर कहीं भी कोई सम्पत्ति खरीदने पर कोई रोक नहीं है। अतः अनुमति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Rabi Ray : Do Government propose to extend complete liberty to the Dalai Lama, the head of Tibet Government to carry on his activities here as it is in the interest of India ? Do Government propose to put restrictions on Dalai Lama's acquiring property for himself and allowing the Tibetan refugees to settle anywhere in India they like ?

Shri Surendra Pal Singh : The scheme for the rehabilitation of Tibetan refugees is chalked out by the said society and we do not interfere in that. We extend whatever possible help we can.

An Hon. Member : Land should be given direct to the refugees and Dalai Lama should not be allowed to purchase lands.

Shri Surendra Pal Singh : Dalai Lama is purchasing property in accordance with the local laws and we can not interfere in that.

श्री रा० कृ० सिंह : वारसा में अमरीका और चीन के बीच कुछ बातचीत चल रही है। संसार में अमरीकी समर्थन प्राप्त देश तिब्बत के प्रति बड़े उदासीन हैं। ऐसा प्रतीत होता है

दलाई लामा के बारे में तिब्बत के समर्थक यहां बहुत जोश में हैं। हमें पहले अपने देश के हितों का ख्याल रखना चाहिये और बाद में दूसरे देशों के हितों का ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता इसके लिये किसी उत्तर कीं आवश्यकता है।

Shri Ishaq Sambhali : May I know the details of the foreign aid received by this society and will the Hon. Minister lay a statement on the Table of the House in future in regard to the foreign aid received by this society ? Do Government propose to ban the purchase of lands by this society in the border states like U. P. Kashmir, Himachal Pradesh and Assam lest they should become the centres of international conspiracies ?

Shri Surendra Pal Singh : The names of the aid giving countries have been enumerated in the statement. The figures regarding the quantum of aid received from each country have already been given in answer to a previous question.

Shri Ishaq Sambhali : We have already been a victim to international conspiracies at Nagaland and other places. In view of this do Government propose to put a ban ?

Shri Surendra Pal Singh : There is no conspiracy in that.

Shri Maharaj Singh Bharati : I want a point blank answer to the question that is, has any property been purchased in the name of Dalai Lama. This question has not been answered despite the fact that 35 minutes have been spent on it. Secondly, is any property being purchased in the name of the society and are Tibetan refugees being rehabilitated or given aid ?

Shri Surendra Pal Singh : I have already stated that I do not have the information regarding the purchase of land by Dalai Lama in his own name. I have already given the details of the lands purchased by the Society and Dalai Lama has no right over those lands as these are meant only for the rehabilitation of Tibetan refugees.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : माननीय मंत्री ने बताया कि चाय के बागान खरीदे गये हैं। क्या मंत्री महोदय को पता है कि वहां किस किस्म की चाय उगाई जाती है और यदि हम उस चाय को पियेंगे तो क्या चीन के साथ हमारे सम्बन्ध अधिक खराब हो जायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं नहीं समझता कि सोसाइटी द्वारा खरीदी गई किसी सम्पत्ति से चीन के साथ हमारे सम्बन्धों पर कोई बुरा असर पड़ेगा। केवल धर्मार्थ और मानवीय आधार पर ही ऐसा किया गया है और इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है।

श्री जी० एस० रेड्डी : क्या हमारे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये दलाई लामा को अनुमति देना हमारी धर्मनिरपेक्ष नीति के अनुकूल नहीं है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : दलाई लामा को पूर्ण स्वतंत्रता है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या सरकार दलाई लामा द्वारा खरीदी गई भूमियों का पता लगायेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे एक स्थान पर न हों और सामरिक महत्व के क्षेत्रों में न हों ताकि यहां पर कोई तिब्बती बस्ती न बन जाये ? चार-पांच वर्षों में यह एक नई समस्या

बन कर हमारे सामने आ सकती है। दलाई लामा हमारे अतिथि हैं और हम उसका स्वागत करते हैं, परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : भारत सरकार निजी संस्थाओं के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। जहां तक इस संस्था द्वारा भूमि खरीदने और उसके उपयोग का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि केन्द्रीय राहत समिति, जिसके माध्यम से सारी विदेशी तथा भारतीय सहायता दी जा सकती है, निधियों के उपयोग के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखती है। संस्था अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती है और इसमें शक करने की कोई बात नहीं है।

Shri Satya Narain Singh : There are reports to the effect that Dalai Lama wants to go outside India, but our Government is not permitting him to do so. What is extent of veracity in these reports and if thay are true, what are the intentions of the Government in not permitting to leave India.

Shri Surendra Pal Singh : I have already stated that he wanted to go to Japan and other countries and we had accorded the permission. Now he has not expressed his intention to go anywhere. As and when he wants the permission it will be considered.

श्री तुलसीदास जाधव : क्या दलाई लामा ने भारत की राष्ट्रीयता स्वीकार कर ली है और यदि नहीं तो, उन्हें यह भूमि और सम्पत्ति खरीदने का अधिकार कैसे मिल गया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यदि माननीय सदस्य विवरण को पढ़ने का कष्ट करें तो वह देखेंगे कि भारत में विदेशियों द्वारा भूमि या अन्य सम्पत्ति खरीदे जाने पर कोई रोक नहीं है।

Shri Shri Chand Goel : What are the arrangements for the education of the Tibetan children ? Are their sentiments kept alive that they have to achieve the independence of their Country one day ?

Shri Surendra Pal Singh : This does not arise out of the main question.

श्री राजशेखरन : क्या सरकार को पता है कि मैसूर की तिब्बती पुनर्वास संस्था अपने एक प्रस्ताव के अनुसार तिब्बती शरणार्थियों को मैसूर में बसाना चाहती है ? यदि यह सच है तो क्या सरकार इस योजना को क्रियान्वित करने की अनुमति देगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है।

Shri Mohammad Ismail : Is this society getting aid from Western countries especially from U. S. A. ?

Shri Surendra Pal Singh : It is given in the statement that this society is receiving aid. The names of the foreign agencies have also been given in the statement. It is true that foreign agencies are private agencies, they collect the funds and send them. But the Governments of those countries do not come into the picture. They are not giving any money.

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister stated that there is no ban on the purchase of land by the foreigners here. Have Government ensured that this society is first

registered before it purchases lands so that it can be located as to what foreigners have purchased lands in India? Have any orders been issued to the effect that no foreigner can purchasel and before getting himself registered?

Secondly, are the followers of Dalai Lama being given the training in guerilla war fare so that they may be usefully employed against China when needed?

Shri Surendra Pal Singh: As regards the registration, I am to submit, that this society is already registered and, therefore, there should not be any objection to its purchasing lands.

Shri A. B. Vajpayee: That is not the question. The Hon. Minister stated that there is no ban on the purchase of land by foreigners. Is it not a dangerous thing?

Shri Surendra Pal Singh: The present law is like this.

Shri Hukam Chand Kachwai: That should be amended.

Shri Surendra Pal Singh: This is a registered society and its aims and objects are known to us. Hence, there should not be any objection.

Shri Hukam Chand Kachwai: It is a wrong law and it should be amended.

Shri Surendra Pal Singh: The propriety or otherwise of a law is to be determined by this House.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के लेखापरीक्षित लेखे आदि

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं डा० त्रिगुण सेन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) प्रौद्योगिकी संस्थाएं अधिनियम, 1961, की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर, के वर्ष 1965-66 के लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2188/67**]

(2) हरियाना राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 21 नवम्बर, 1967, की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत, 3 अक्तूबर, 1967, को हरियाना के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित पंजाब स्थानीय प्राधिकार (सहायताप्राप्त स्कूल) हरियाना संशोधन अध्यादेश, 1967 (1967 का हरियाना अध्यादेश संख्या 9) की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०- 2189/67**]

नेशनल रिसर्च डेवेलपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत नेशनल रिसर्च डेवेलपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, के वर्ष 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2190/67]**

उत्तर में शुद्धि करने के लिये मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : मैं हिन्दी टेलीप्रिन्टरों के बारे में श्री प्रकाशवीर शास्त्री के अतारांकित प्रश्न संख्या 4931 के 19 दिसम्बर, 1967 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने के लिये एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2191/67]**

धान कुटाई उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) संशोधन नियम आदि

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958, की धारा 22 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत, धान कुटाई उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) तीसरा संशोधन नियम, 1967, जो दिनांक 30 सितम्बर, 1967, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1465 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपरोक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2192/67]

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

कार्यवाही सारांश

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): Sir, I beg to lay on the Table the minutes of the 5th to 12th sittings of the committee on Government Assurances held on 20th, 21st and 22nd September, 23rd and 24th October, 6th and 7th November and 19th December, 1967 respectively.

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, 1967

(2) न्यायालय शुल्क (दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1967

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

तेईसवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : मैं भूतपूर्व परिवहन तथा संचार मंत्रालय (संचार और असैनिक उड्डयन विभाग)—असैनिक उड्डयन विभाग—के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 29वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का 23वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

छठा प्रतिवेदन

श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : मैं श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी की ओर से खनिज लोहे और खनिज मैंगनीज के संभरण के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रूरकेला स्टील प्लान्ट द्वारा मैसर्स बी० पटनायक माइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड तथा अन्य फर्मों के साथ किये गये करारों के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका का प्रस्तुत किया जाना
PRESENTATION OF PETITION

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं अपने संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) से सम्बन्धित मेजर जनरल (सेवा-निवृत्त) यू० सी० दुबे तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

सीमेन्ट के वितरण को विनियमित करने सम्बन्धी वक्तव्य
STATEMENT RE: CEMENT DISTRIBUTION REGULATION

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं देश में सीमेन्ट के वितरण को विनियमित करने के सरकारी निर्णय के बारे में वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2193/67]

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): This is the last day of the session. When will we get an opportunity to discuss it?

अध्यक्ष महोदय : यदि आवश्यक हुआ, तो इस पर चर्चा अगले सत्र में हो सकेगी।

बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक
BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में अग्रेतर संशोधन करने, ताकि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तार तथा उससे सम्बन्धित तथा संगत मामलों की व्यवस्था की जा सके, तथा भारत का रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा भारत का राज्य बैंक अधिनियम, 1935 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री स० कुण्डू : (बालासौर) मैं नहीं चाहता कि बैंकों के समाजीकरण के नाम पर राष्ट्र को धोखा दिया जाये और राष्ट्र की प्रगति को रोका जाये। इस विधेयक से केवल कुछ ही लोगों को लाभ होगा। इससे समूचे बैंकिंग उद्योग में नौकरशाही का प्रभाव बढ़ जायेगा और उससे वह उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा जिसके लिये देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की जा रही है। इन वर्षों में जमा राशि का 87 प्रतिशत ऋण के रूप में बड़े-बड़े उद्योग-गृहों को मिला है। 49 प्रतिशत अंश केवल तीन प्रतिशत अंशधारियों के हैं। कुल जमा राशि का 36 प्रतिशत एक प्रतिशत अंशधारियों का है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों का बैंकों पर बहुत बड़ा नियंत्रण है। बैंकों के निदेशक तथा उनके सम्बन्धी और मित्र ऋण तथा ब्याज का वितरण अपने-अपने सार्थों में करते हैं।

इन सब बातों से वास्तव में धन कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा होने में सहायता मिली है। इसलिये सरकार को यह विधेयक वापिस ले लेना चाहिये तथा समूची बैंकिंग व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि सरकार इस विधेयक से यह दिखाना चाहती है कि वह राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है, तो यह समूचे देश के साथ धोखे के समान है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कांग्रेस सरकार बड़े-बड़े व्यापारियों के हाथ में खेल रही है । हम लगातार यह मांग करते रहे हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये, बैंकों को बड़े-बड़े उद्योगपतियों के नियंत्रण में रख कर वित्त मंत्री एकाधिकार को समाप्त नहीं कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में अग्रेतर संशोधन करने, ताकि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तार तथा उससे सम्बन्धित तथा संगत मामलों की व्यवस्था की जा सके, तथा भारत का रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा भारत का राज्य बैंक अधिनियम, 1935 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

नागरिक प्रतिरक्षा विधेयक
CIVIL DEFENCE BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री यशवन्तराव चह्वाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि नागरिक रक्षा तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने के लिये एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागरिक रक्षा तथा तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने के लिये एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

विशेषाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE : FOURTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVILEGES

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : The Editor of the "Hindustan Times" in the issue of that apaper dated the 4th June, 1967 published an article under the income "Shades of

the Star Chamber" in which he made libellous charges against the Members of Parliament because they had criticized the Birlas in the Parliament while discussing the Hazari Report on monopolies. The very heading of the article brought this august body into contempt because the House was compared to Star Chamber which had become an instrument of repression in England under king Charles II and III by delivering the judgements in an arbitrary way. Its way of functioning led to a fight between it and the Parliament of England in which ultimately the Parliament won and which brought a great relief to the people.

The article also contains several objectionable passages which cast serious aspirtions on the Members and the functioning of Parliament. This was a deliberate attempt to bring the great institution of democracy into contempt and to down grade it in public eyes.

This matter was referred to the Editor of the newspaper Shri Mulgaoker. He not only did not express any regret but on the contrary he said that he had only done his duty. The committee of Privileges, to which the matter was referred on the 7th June, 1967, decided to examine the Editor in person. In his oral evidence also, he did not accept his mistake. The committee arrived at the conclusion that the Editor should have expressed unqualified and unconditional apology, but the committee also recommended that in its magnanimity the House may not take any further action.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विशेषाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन पर, जो सभा में 12 दिसम्बर, 1967 को पेश किया गया था, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो सभा में 12 दिसम्बर, 1967 को पेश किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो सभा में 12 दिसम्बर, 1967 को पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE: INTERNATIONAL SITUATION—CONTD

श्री नाथपाई (राजापुर) : प्रधान मंत्री के भाषण को सुनने से पता लगता है जैसे कोई वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ रहा हो । प्रधान मंत्री के अनेक कामों में व्यस्त

रहने के कारण यह उचित होगा कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का कोई अलग मंत्री नियुक्त किया जाये क्योंकि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जिसका काम अन्यमनस्कता के साथ खाली समय पर करने के लिये नहीं छोड़ा जा सकता।

ऐसा मालूम होता है कि सरकार वैदेशिक कार्य मंत्रालय को एक बड़ा आतिथ्य सत्कार केन्द्र तथा यात्रा एजेंसी समझती है। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के प्रशासन में बहुत कम उत्साहवर्द्धक अवसर आते हैं। अन्यथा वहां पर शिथिलता ही छाई रहती है।

हमारे राजदूतों की नियुक्ति कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा, योग्यता या सेवाभाव के आधार पर नहीं की जाती, इस सम्बन्ध में हेराफेरी अधिक रहती है। विदेश नीति के सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों की सच्ची निष्ठा रही है परन्तु आज हमारी विदेश नीति में कुछ नहीं रही है क्योंकि सरकार का विश्वास है कि कुछ विज्ञप्तियां तैयार करने, विदेशों की यात्रा करने और कुछ अतिथियों का स्वागत करने में ही विदेशी नीति निहित होती है। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजकीय यात्राओं पर जाने, सत्कार प्राप्त करने और फिर दूसरे देशों के राज्याध्यक्षों का स्वागत करने से ही यह देश ऐसी यथार्थवादी और गतिशील नीति नहीं अपना सकता है जैसी कि इसे अपनानी चाहिये। हम कई बार यह समझते हैं कि अतिथि के सत्कार में ही नीति की सफलता है। जब प्रधान कैनेडी जीवित थे, तो श्री जवाहरलाल के अमरीका के दौरे के बारे में यह प्रचार किया गया था कि यह भारतीय राजनयिकता की सफलता है परन्तु प्रोफेसर शलेशिंगर के अनुसार प्रधान कैनेडी की भारत के प्रधानमंत्री से जो आशायें थीं, वह इस दौरे से पूरी नहीं हुई थीं।

यद्यपि हमारी सरकार इस बात से संतुष्ट है कि भारत के सम्बन्ध विश्व की दो बड़ी शक्तियों से मैत्रीपूर्ण हैं परन्तु मेरे विचार से अमरीका और रूस के साथ हमारे जैसे सम्बन्ध होने चाहिये वैसे नहीं हैं। रूस के साथ हमारे सम्बन्धों में कुछ संदिग्धता आ गई है और अमरीका से हमारा सम्बन्ध आर्थिक सहायता तक ही सीमित हो गया है। यदि अमरीका से हमें कुछ गेहूं तथा अन्य प्रकार की सहायता मिल जाती है और रूस हमें कुछ हथियार सहायता के रूप में दे देता है तो सरकार यह समझ लेती है कि भारत की विदेश नीति संतोषप्रद है और उसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। रूस जिसे हम अपना सच्चा मित्र समझते थे वह अब पाकिस्तान और भारत को समान मानता है। रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस कार्यक्रम से यह बात स्पष्ट हो गई है।

इस समय हमारे सम्बन्ध आश्रय-दाता और आश्रित के समान हैं। रूस और अमरीका हमारी सहायता करते हैं, इसके लिये तो वे धन्यवाद के पात्र हैं, परन्तु साथ ही वे हमारी आर्थिक अस्थिरता का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। वे हमारे देश को सेवक और चापलूस की तरह का देश बनाना चाहते हैं ताकि हमारी निर्भरता उन पर बनी रहे। इसके विपरीत हमारे देश की विदेश-नीति का आधार समानता होना चाहिये। दोनों में परस्पर विश्वास और मैत्री की भावना होनी चाहिये। विदेश नीति का अर्थ है कि दोनों मित्र देशों में पारस्परिकता के आधार पर

सम्बन्ध हों, उनमें एक दूसरे के हित की भावना हो। हमारी विदेश नीति समानता पर आधारित होनी चाहिये, निर्भरता पर नहीं। यह तभी सम्भव होगा जबकि हमारी उन पर आर्थिक निर्भरता कम हो। अन्यथा, इससे हमारी प्रभुसत्ता को भी खतरा हो सकता है।

इसके साथ मेरा यह निवेदन है कि भारत सरकार दक्षिणपूर्व एशिया में अधिक रुचि ले, क्योंकि ऐसा करना भारत के हित में होगा। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं और उसे सजग बनाना चाहता हूं कि आण्विक अस्त्रों के प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में रूस एवं अमरीका ने मिलकर जो सन्धि-पत्र तैयार किया है, उस पर वह हस्ताक्षर न करें। यह उन दोनों देशों की चाल है। इस सन्धि से शक्तिशाली देशों, जिनके पास अणु शस्त्र हैं, को यह अधिकार मिल जायेगा कि वे अपने अणु शस्त्रों के भण्डार में वृद्धि करते जायें और जिन देशों के पास अणु शस्त्र नहीं हैं, उन पर ऐसे हथियार बनाने की पाबन्दी सदा के लिये लगा दी जाये। भारत को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि हमारी विदेश नीति हमारे देश के अनुरूप हो, यथार्थवादी हो, जिसकी आज अत्यधिक आवश्यकता है।

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : यहां विदेश नीति पर चर्चा हो रही है। अमरीका और रूस के साथ हमारे क्या सम्बन्ध हैं, इस पर विचार न करके, मैं आपका ध्यान अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हमारे जो सम्बन्ध हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। हमने पाकिस्तान के साथ ताशकन्द समझौता इस आशय से किया था कि दोनों देशों में शान्ति का वातावरण बन जाये और वे प्रगति पथ पर बढ़ते जायें। परन्तु हुआ इसका एकदम उलटा। इससे तो दोनों देशों में शत्रुता की भावना और दृढ़ होती जा रही है। पाकिस्तान ने इस समझौते का पालन नहीं किया है। पाकिस्तान ने खेमकरण के उत्तर में एक दीवार बनाई है। पाकिस्तान ने राजस्थान की सीमा पर खाई और सामरिक महत्त्व की सड़कें बनाई हैं जिससे उपरोक्त समझौते की भावना का उल्लंघन होता है। पाकिस्तान की ओर से हमारी सीमा का मुजाहिदों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। अतः भारत को इस समझौते पर पुनर्विचार करना चाहिये।

हमारी विदेश नीति वास्तव में सराहनीय है। तटस्थता की नीति की फ्रांस जैसे देश ने भी प्रशंसा की है और अब वह भी इसे अपनाता जा रहा है। वह नाटो जैसे समझौतों से हटता जा रहा है। यदि कुछ हद तक हमारी विदेश नीति विफल रही है तो वह नीति का दोष न होकर नीति को कार्यान्वित करने वालों का दोष है। हमारे राजदूत और विदेश-सेवा के अधिकारी ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिये जिससे हमारी विदेश सेवा सुधरे और जो भारत का सही रूप तथा भारतीयों की मैत्रीपूर्ण भावना विदेशों में प्रदर्शित कर सकें। आजकल दर्जनों राजनयिक अधिकारी अपने पदों पर उपस्थित नहीं रहते हैं। सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिये जिससे भारतीय राजनय में वांछित परिवर्तन आये।

काश्मीर भारत का प्रत्येक दृष्टि से अविभाज्य अंग है। इसलिये काश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया जाना चाहिये। उस पर पंच फैसले या वहां पर जनमत का प्रश्न ही नहीं उठता। पाकिस्तान इसके लिये चाहे जितना शोर मचाये। पाकिस्तान अब रूस को भी अपने

पक्ष में करने का प्रयत्न कर रहा है। इन सब बातों पर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये। पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भी हमें अपने सम्बन्ध और दृढ़ बनाने चाहिये। हमारा उनसे बहुत अधिक निर्यात व्यापार होता है। कुवेत देश में हमें अपना राजदूत नियुक्त करना चाहिये। पश्चिमी एशिया के सभी छोटे-छोटे देशों पर हमें समुचित ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा पैट्रोलियम का अधिकतर व्यापार उनसे होता है। साथ ही हमें वियतनाम में भड़के हुए युद्ध को भी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिये। हमें वहां शान्ति बनाए रखने के लिये अधिक ठोस कार्यवाही करनी चाहिये थी। अब वियतनाम की स्थिति बदल गई है और इस बदली हुई परिस्थिति में भारत को पुनः विचार करना चाहिये कि वह अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष बना रहे अथवा नहीं।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : हमारी प्रधान मंत्री आलोचना का सीधे उत्तर नहीं देतीं बल्कि वह सामान्य रूप से व्याख्या कर देती हैं। उनका कहना है कि सब विरोधी दल एकता के सूत्र में नहीं बंधे हैं। यह तो ठीक है। परन्तु उन्होंने यह नहीं अनुभव किया कि सब विरोधी दल एक स्वर से सरकार की विदेश नीति की भर्त्सना करते हैं। विदेश नीति की सफलता और विफलता इस दृष्टि से आंकनी चाहिये कि हमारे सम्बन्ध पड़ोसी देशों से कैसे रहे हैं। हमारी विदेश नीति के कारण तिब्बत राज्य के स्वतन्त्र अस्तित्व का लोप हो गया। चीन से करारे थपेड़े खाये और आज भी वह हमारे राजनयिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा, परन्तु हम अब भी संयुक्त राष्ट्रसंघ में उसकी सदस्यता के लिये वकालत करते हैं। बर्मा से हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं परन्तु उसने भारत मूलक लोगों को, जो वहां सदियों से बसे हुए थे, भारत खाली हाथ वापस भेज दिया। श्रीलंका ने भी ऐसा ही कार्य किया और हमने इसके लिये आभार प्रकट किया। पाकिस्तान के साथ ताशकन्द समझौता किया जिसका वह निरंतर उल्लंघन कर रहा है। यह है हमारी विदेश नीति की सफलता। हमारी यह भी आदत है कि हम दौड़कर शान्ति स्थापक का काम अपने हाथ में ले लेते हैं, चाहे वह पूरा हो या न हो। वियतनाम का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वियतनाम में लड़ाई बढ़ती जा रही है। यहां पर भारत की नीति के असफल होने का कारण यह है कि जिस काम को हम नहीं कर सकते थे वह हमने अपने हाथ में ले लिया। हम अमरीका से कुछ कहते हैं। वियतनामियों से कुछ दूसरी बात कहते हैं और उत्तरी वियतनाम में तीसरा स्वर अलापते हैं। हमें स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि वहां युद्ध विराम रेखा का पालन किया जाये जिससे वहां यथापूर्व स्थिति बनी रहे। इसराइल के सम्बन्ध में भी हमारी नीति पूर्ण रूप से विफल रही। भारत सरकार के लिए इतना कहना ही काफी था कि संयुक्त अरब गणराज्य भारत का मित्र देश है और आक्रामक को वापस चला जाना चाहिये। भारत को क्या आवश्यकता थी कि वह इसराइल को आक्रामक ठहराये, जबकि हम इस मामले से निकट से सम्बद्ध नहीं थे।

हमारे देश का सम्बन्ध यूरोपीय देशों तथा अमरीका की अपेक्षा एशियाई देशों से अधिक है। अतः हमें इन देशों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। हमें यहां पर गुणी राजदूत भेजने चाहिये। हमें अपने मन से यह बात निकाल देनी चाहिये कि अमरीका हमारा मित्र या रूस

हमारा मित्र है। हमें अपने पड़ोसी देशों से सच्ची मित्रता जोड़नी चाहिये। जहां तक रूस का सम्बन्ध है उसने हमारे प्रधान मंत्री पर दबाव डालकर उनसे ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिये। हम ताशकन्द भावना का ढिंढोरा पीटते हैं जबकि पाकिस्तान उसका निरन्तर उल्लंघन करता रहता है।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : I support the motion on international situation put before the House by our Prime Minister. I heard the speeches of the Members belonging to different opposition parties, but I found therein the criticism raised for criticism's sake and not for constructive purposes. Some say that we should join hands with America and England while others say that we should go nearer to U. S. S. R. or communist countries. Some want to protect the interests of America and other European countries and others are in favour of protecting the interests of communist countries including China. They totally ignore the interests of our own country. They criticize Government's policy and term it as blind policy or lame policy. Our foreign policy should be seen from the national perspective. Our foreign policy is perfectly right. Neither we are left nor we are right. We are in between the two and such a stand is beneficial to us. We are friends of all and foe to none. The policy of non-alignment is best suited to India in the existing international situation. Our country is playing an important role establishing peace in the troubled areas of the world like Vietnam. With these words I fully support our foreign policy.

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूच बिहार) : हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार न्याय का समर्थन करती है और स्वतंत्रता का पक्ष लेती है। पाकिस्तान के सम्बन्ध में हमारी जो विदेश नीति है वह ऐसी है जिससे भारत के हितों को ठेस पहुंचती है। पाकिस्तान हमारे से मैत्री भाव रखता है हमारे देश की सीमा का अतिक्रमण करता है। वह मिजो विद्रोहियों को प्रशिक्षण देता है। इसके विपरीत हम पाकिस्तान के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। पाकिस्तान हमारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करता जाता है और हम चुप बैठे हैं। पाकिस्तान विद्रोही नागाओं को सहायता दे रहा है परन्तु हमने पूर्वी पाकिस्तान में हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन को सहयोग न दिया। पाकिस्तान उन भारतीय नागरिकों को सताता रहता है जो सीमा पर स्थित भारतीय बस्तियों में रहते हैं। पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार ढाये जाते हैं। पाकिस्तान झूठा प्रचार करता है कि भारत में मुसलमान तंग किये जाते हैं जबकि भारत में अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा की जाती है। भारत बदले में कुछ भी नहीं कर रहा है। वह पाकिस्तान को

खुश रखने की नीति अपना रहा है। पाकिस्तान ने कच्छ के रन का मामला उठाया और अब फरक्का बांध का प्रश्न उठाना चाहता है। पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता जाता और भारत उसे प्रसन्न करता जाता है यह नीति भारत के हित में नहीं है। हमें यह नीति पुनः बनानी चाहिए और जैसे को तैसे के आधार पर पाकिस्तान के साथ व्यवहार करना चाहिए। नेहरू-लियाकत समझौते का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है भारत को भी उसे नहीं माना जाना चाहिये। विदेशों में जिम्मेदार व्यक्तियों को राजदूत बनाकर भेजना चाहिए जो भारत के हितों को हर समय ध्यान में रखें। हमारे एक राजदूत ने अपने भाषण में "भारत—अधिकृत काश्मीर" और "पाकिस्तान—अधिकृत काश्मीर" का प्रयोग काश्मीर के लिये किया जो भारत का अविभाज्य अंग बन चुका है।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : I do not support the view expressed by Acharya Kripalani that India should have no concern with the war in Vietnam. We always opposed imperialism and we must oppose the American imperialism in Vietnam. I support the Indian policy towards Vietnam. We should ask America to stop the bombing in North Vietnam to pave the way for direct talks on the basis of Geneva conferenee. India should make every effort to restore peace in Vietnam.

We should accept the reality of two-German theory and recognize both Germanys. India has diplomatic relations with West Germany while Government of India do not want to establish diplomatic relations with East Germany. Though the German Democratic Republic is more friendly than Federal Republic of Germany. We should remould our foreign policy towards East Germany and establish diplomatic relations with East Germany. India should be bold enough to uphold the cause of disarmament. Till the disarmament is realized such wars as Vietnamese war will continue. India should continue to be interested in bringing about a complete and total disarmament. At the same time India should be cautious in respect of non-proliferation treaty. It should be made clear to both U. S. A. and U. S. S. R. that India will not sign the non-proliferation treaty. This treaty will put a ban on non-atomic nations for producing nuclear weapons while it will preserve the right of nuclear powers to keep hold of their nuclear weapons to make such weapons in future also. The Government of India should invite Khan Abdul Gaffar Khan to India and he should be given all support to his Pakhtoonistan movement.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It is unfortunate that the matter of foreign policy is not being given as much importance as it should have been. Late Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru gave due importance to the matter of foreign affairs during his Prime Ministership. Now his daughter, who is Prime Minister now, often remains absent from the House while the international situation is being discussed. Another example of negligence is that no new Minister for External Affairs has been appointed since Shri M. C. Chagla resigned. Our foreign policy shrould be bold and strong so that India may hold its respect in the world.

We should appoint able and competent ambassadors in foreign countries especially in our neighbour countries. Moreover there should be close contacts and good relations between the ambassadors and the Indian people permanently living in foreign countries. At present Indian people living in a foreign country are not allowed to have close contacts with the Indian

embassy there. This is a big loopwhole in our foreign policy. Last time Shri Ramgoolam, the Prime Minister of Mauritius, visited India, but due reception was not accorded to him on the pretext that he is a man of Indian origin. We should give serious thought to the question of giving moral, political and diplomatic support to Khan Abdul Gaffar Khan. He is expecting such a support from India on the ground that his contribution to Indian freedom fight has been great. Further, we should establish diplomatic relations with all the countries—big or small—on the earth. We should have diplomatic and friendly relations with Israel also. Israel Government is prepared to send their experts for converting desert areas of Rajasthan into fertile land. We should accept their offer. There should be name plates in Hindi in our embassies abroad, particularly in those countries where English is not in use.

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमण तथा दीव) : आज के विश्व में शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिये यह आवश्यक है कि वह आर्थिक रूप से समृद्ध हो या सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली हो अथवा युद्ध वृत्ति वाला हो। परन्तु हमारे देश में इन तीनों गुणों में से एक भी नहीं है। हमारे देश को विकास हेतु बनी सभी विश्व परिषदों में अन्य विकसित देशों के समान स्थान मिलना चाहिए तथा विकास प्रक्रिया में जो सहायक सिद्ध हो सके, ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिए। विकासशील देश विकसित देशों को कच्चा माल भेजते और उनसे तैयार माल लेते हैं। इस प्रक्रिया से विकसित देशों को लाभ अधिक होता है। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे यह प्रक्रिया पलट जाये। साथ ही विकासशील देशों का व्यापार विकसित देशों की अपेक्षा परस्पर अधिक होना चाहिए। विश्व व्यापार तथा विकास सम्मेलन में, जो भारत में होने वाला है, इस पक्ष में मत तैयार किया जाना चाहिये कि विकासशील देशों में परस्पर व्यापार बढ़े और विकसित देश विकासोन्मुख देशों को तैयार माल की अपेक्षा तकनीकी सहायता अधिक भेजें। इन विचारों को विकसित देशों के समक्ष रखने में भारत को पहल करनी चाहिये। भारतीय निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भारत को व्यापार शिष्ट मंडल विदेशों में भेजे जाने चाहिए जिससे भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े और भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। विदेशों के सामने विचार रखने के लिये विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी आवश्यक है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहां तीन विदेशी भाषाएं पहले से ही विद्यमान हैं—अंग्रेजी, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली भाषाएं। भारत में इन भाषाओं की रक्षा की जानी चाहिए जिससे वे फलती फूलती रहें।

अभी तक अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो स्वतंत्र होना चाहते हैं। जहां भी स्वतंत्रता के लिये आन्दोलन हो, भारत सरकार को उसकी हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए। भारत सरकार को अपना नाता संसार के उन लाखों लोगों की आवाज के साथ जोड़ना चाहिए जो शान्ति समृद्धि और प्रगति चाहते हैं। सरकार को अपनी एक दृढ़ नीति बनानी चाहिए कि उसे क्या काम करना है और कहां करना है और उसे क्रियान्वित करना चाहिए।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : दिल्ली की एक सार्वजनिक सभा में एक इस आशय का संकल्प पास किया गया था कि सरकार खान अब्दुल गफ्फार खां को राजनयिक तथा अन्य सभी प्रकार की सहायता दे। इस संकल्प की एक प्रति प्रधानमंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री को भेज दी थी। सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है? यदि पाकिस्तान भारत के विद्रोही

नागा और मिजो लोगों को सैनिक प्रशिक्षण दे सकता है तो भारत स्वतंत्र पख्तूनिस्तान का समर्थन क्यों नहीं कर सकता। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने खान अब्दुल गफ्फार खां तथा उसके पख्तून आन्दोलन के लिये किस प्रकार की सहायता देने का निर्णय किया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : आज के वाद-विवाद में जो मुख्य बातें कही गई हैं उनके उत्तर में ही मैं कुछ तर्क देना चाहता हूं। मैं श्री नाथ पाई के विचारों से सहमत हूं कि अणु-अस्त्र-प्रसार-निषेध-सन्धि के प्रति हमारा रुख दृढ़ होना चाहिए, देश में विदेशी धन के प्रयोग पर नियंत्रण होना चाहिये, देश में राजनैतिक स्थिरता होनी चाहिए तथा साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। अणु-प्रसार-निषेध-सन्धि के बारे में हमारी स्थिति स्पष्ट और दृढ़ है। यह स्थिति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्पष्ट की जा चुकी है। साथ ही सम्बन्धित सरकारों के प्रतिनिधियों को भी भारत के रुख से अवगत करा दिया गया है। हमारे विचार से अणु शस्त्रों का पूर्ण निशस्त्रीकरण तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि कुछ शक्तिशाली और शस्त्रधारी राष्ट्रों को अणु शस्त्रों का निर्माण करने और उनका प्रसार करने का विशेष अधिकार प्राप्त रहेगा। कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो अणु शस्त्रों के निर्माण एवं प्रसार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये की जाये, वह ऐसी होनी चाहिये जो शस्त्रधारी और शस्त्रहीन राष्ट्रों सभी पर सामान्य रूप से लागू हो। हम चाहते हैं कि आणविक शस्त्रों का निर्माण न वे देश करें जो अब तक आणिवक शस्त्र बनाते आये हैं और न वे देश ऐसे शस्त्र बनायें जिन्होंने अभी तक बनाये ही नहीं हैं। इसके विपरीत परमाणु-शस्त्रधारी देश यह चाहते हैं कि अणुशस्त्रहीन देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण करने से रोका जाये और वे स्वयं ऐसे हथियार बनाते जायें। हम अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था उचित नहीं है। इसलिये सरकार की इस नीति की आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

जहां तक विदेशी धन के भारत में प्रयोग और प्रभाव की बात है, तो उस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि हम अपनी स्वतंत्रता, नीति और कार्यों को किसी भी प्रकार के विदेशी प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देना चाहते। भारतीय नेताओं द्वारा की जाने वाली विदेश यात्राओं के सम्बन्ध में जो आलोचना की जाती है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। भारतीय नेताओं के विदेश जाने और विदेशी नेताओं के भारत आने से एक बड़ा लाभ यह होता है कि विभिन्न विषयों पर पारस्परिक विचार-विनिमय का अवसर मिल जाता है। संयुक्त विज्ञप्ति केवल उन्हीं मामलों के सम्बन्ध में निकाली जाती है जो सामान्य होते हैं। कुछ मामलों को प्रकाशित करना वांछनीय नहीं होता। यह कहना भी ठीक नहीं है कि भारतीय नेता सदा ही आर्थिक सहायता या अनाज मांगने विदेश जाते हैं। वैसे तो जहां से भी जैसी भी सहायता मिलती है, सरकार उसका स्वागत करती है परन्तु इसके आधार पर यह अनुमान लगाना गलत है कि सहायता देने वाले देश अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजनैतिक क्षेत्र में हमारी नीतियों पर प्रभाव डालते हैं। ऐसा न भूतकाल में हुआ है और न भविष्य में होगा। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सहायक देश सहायता देते समय अपने हितों पर हमारे देश के हित की अपेक्षा कहीं अधिक ध्यान रखता है। विकसित देश विकास-शील देशों को जो सहायता देते हैं, वह दान स्वरूप नहीं होती है। यह सभी देशों के हित में कि

शान्ति बनी रहे। प्रगतिशील देशों के लिये तो यह बहुत ही आवश्यक है। शान्तिपूर्ण वातावरण में ही कम उन्नत देशों का स्तर ऊंचा किया जा सकता है। हमने संयुक्त राष्ट्र में तथा अन्य स्थानों पर इसी उद्देश्य के लिये प्रयत्न किया है। हम अन्य देशों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं परन्तु इसके कारण हम अपने सिद्धान्तों को त्याग नहीं सकते। हमारे अमरीका और रूस दोनों के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। हां, यह हो सकता है कि किसी के साथ हमारा किसी बात पर दृष्टिकोण भिन्न हो। आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत शीघ्रता से परिवर्तन हो रहा है। हमें स्थिति का निरन्तर ध्यान रखना है। भारत एक महान देश है। इसके महत्व से कोई इन्कार नहीं कर सकता। यदि पाकिस्तान को कहीं से सैनिक सहायता मिलती है तो यह हमारे लिये चिन्ता का विषय बन सकता है।

श्री मसानी: रूस ने हेलीकाप्टर दिये हैं।

श्री स्वर्ण सिंह: हेलीकाप्टर कोई भी खरीद सकता है। परन्तु मैं श्री मसानी से जानना चाहता हूं कि जब अमरीका ने पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में सैनिक सामान उपहार के रूप में दिया था तो उस समय उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? इस प्रकार विचारधारा की बात ऐसे मामलों में नहीं लाया जाना चाहिए।

हम दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने को बहुत महत्व देते हैं। श्री नाथ पाई ने श्री चागला की प्रशंसा की है। यह अच्छा है। इस क्षेत्र के लगभग सभी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं। अब हम इन देशों के साथ अपने आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों को और भी सुदृढ़ कर रहे हैं। इस क्षेत्र के देशों की एकता, स्वतंत्रता और दृढ़ता में ही इनकी भलाई है। एक देश का हित आज इस बात में नहीं कि वह प्रतिरक्षा समझौतों और गुटों का सदस्य बने।

इन्डोनेशिया को बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है। अब वहां नई सरकार है। वह अब अन्य देशों के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार कर रहा है। और आन्तरिक रूप से भी विकास किया जा रहा है। हम उस देश के प्रति अपनी शुभ कामनायें व्यक्त करते हैं। और जो कुछ सहायता हमारे से हो सकती है उसके लिए हम तैयार हैं। उस देश के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं।

बर्मा को इस समय आर्थिक समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। उसे और भी कुछ स्थानों की ओर से तनाव का सामना करना पड़ रहा है। हम बर्मा से मैत्री के महत्व अच्छी तरह समझते हैं। हमारे इस पड़ोसी देश के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं।

श्रीलंका के गवर्नर जनरल ने हमारे देश का दौरा किया था। हमारे प्रधान मंत्री ने भी उस देश की यात्रा की है। थाईलैण्ड, फिलीपीन्स, सिंगापुर, मलेशिया आदि देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। इसी प्रकार जापान, न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया के साथ भी हमारे सम्बन्ध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं।

पश्चिमी एशिया के बारे में हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अरब देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अब बहुत अच्छे हैं। उनके साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध सुदृढ़ हैं। अरब-इजराईली युद्ध के दौरान हमारी नीति को वहां बहुत प्रशंसा हुई है। हम इजराईल द्वारा जबरदस्ती हथियाये गए क्षेत्र को वापिस किए जाने की कार्यवाही चाहते हैं। हम आक्रमण की निन्दा करते हैं।

भारत के प्रतिनिधि ने अरब-इजराईली युद्ध के बारे में सुरक्षा परिषद में बहुत परिश्रम और सूझबूझ से कार्य किया। इसके फलस्वरूप सदस्यों में मतैक्य किया जा सका और स्थिति में सुधार हुआ। जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसके आधार पर स्थायी शान्ति स्थापित होने की आशा की जा सकती है। हमें विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र के पश्चिमी एशिया सम्बन्धी प्रतिनिधि अपने कार्य में सफल होंगे।

एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारा देश किसी भी देश के विरुद्ध नहीं है। यह गलत है कि हमारी नीति इजराईल का विरोध करने की है। हम सभी देशों की अखण्डता का मान करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी देशों को अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्गों के प्रयोग की अनुमति होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि स्वेज नहर शीघ्रातिशीघ्र खुल जानी चाहिए। पश्चिमी एशिया के बारे में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में यह बात हमारे प्रयत्न के कारण ही दर्ज की गई थी। भारत का जनमत भी यह है कि आक्रमण द्वारा हथियाई गई भूमि वापिस की जानी चाहिए।

भारत के लोग अरबों के विरुद्ध नहीं हैं। हम यह जानते हैं। सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट है। उसमें यह दिया हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्गों के प्रयोग की सभी को निर्बाध अनुमति होनी चाहिये। हां, मैं इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि संयुक्तराष्ट्र के प्रतिनिधि इस बारे में सम्बन्धित पक्षों से बातचीत कर रहे हैं।

श्री सोंधी ने कहा है कि मैं तिब्बत के विरुद्ध हूं और श्री चागला तिब्बत के समर्थक थे। उनकी यह धारणा बहुत आश्चर्यजनक है। मैं स्पष्ट कर दूं कि जनसंघ कई देशों का विरोधी हो सकता है परन्तु हम किसी के विरोधी नहीं हैं। भारत सरकार हर एक समस्या की वस्तुस्थिति का अध्ययन करती है और तत्पश्चात् अपनी नीति निर्धारित करती है। हमें विभिन्न देशों के साथ हुई संधियों और समझौतों का मान करना चाहिये। हमें हर एक बात जिम्मेदारी से करनी चाहिए। हम ताशकन्द समझौते को समाप्त नहीं कर सकते। देश के आन्तरिक मामलों के सम्बन्ध में यह संसद निर्णय करने में सर्वोच्च है। परन्तु हमें अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में ध्यान से बात करनी चाहिए। तिब्बत के बारे में हमने चीन के कुछ अधिकारों को मान्यता दी है। इस विषय पर यहां कई बार चर्चा हो चुकी है। अब हम पुरानी संधियों से जिनपर भारत ने हस्ताक्षर किये थे, वापिस नहीं मुड़ सकते। हमारी तिब्बत सम्बन्धी नीति में किसी प्रकार के दबाव से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। हम दलाई लामा को तिब्बत की प्रवासी सरकार का मुखिया नहीं मान सकते। क्योंकि ऐसी कोई सरकार है ही नहीं।

चीन के साथ हमारा कई मामलों में मतभेद है। उसने हमारे कुछ क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। चीन और पाकिस्तान के बीच गठजोड़ हो रहा है। अतः हमें इन सब

बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति निर्धारित करनी है। इस बारे में किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।

फारमोसा को हम अलग देश नहीं मानते। चीन की सरकार ही वास्तव में चीन की सरकार है। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के कारण फारमोसा वाले यह दावा नहीं कर सकते कि वे पूरे चीन की सरकार हैं। हमारी सीमा सम्बन्धी विवाद के बारे में फारमोसा की सरकार भी चीन सरकार की भांति दावे करती है।

श्री मी० रु० मसानी : जी नहीं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं विदेश मंत्री रह चुका हूं और मुझे पूरी-पूरी जानकारी है। फारमोसा सरकार भी हमारे उन इलाकों को अपना होने का दावा करती जिनका कि चीन सरकार दावा करती है। शायद स्वतंत्र पार्टी वाले और जनसंघ वालों को इसकी जानकारी नहीं है। प्रतिपक्ष वालों को पहले वस्तुस्थिति समझनी चाहिए। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की सहायता करनी चाहिए। यह हमारी नीति के अनुसार नहीं है। हम किसी अन्य देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। उसके साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं हैं। परन्तु फिर भी हम उसके साथ सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं। हमें अपनी आधारभूत नीति में परिवर्तन नहीं करना है। हम किसी अन्य देश के आन्तरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। और न ही हम किसी अन्य देश को ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं।

बस्तियों के बारे में पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ था हम उसको पूरा करना चाहते हैं। इस बारे में कलकत्ता उच्च न्यायालय में केस चल रहा है। हमें उन सभी समझौतों को पूरा करना है। मैं श्री पाणिग्रही के स्थानापन्न प्रस्ताव को छोड़कर अन्य सभी स्थानापन्न प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं निरनुमोदन प्रस्ताव संख्या 2 मतदान के लिए रखता हूं।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 51 : विपक्ष में 149

Ayes 51 : Noes 149

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 और 8 मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 7 और 8 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The substitute Motions, Nos. 7 and 8 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 10 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The substitute motion No. 10 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 11, 12, 1, 4, 9 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

The substitute motion Nos. 11, 12, 1, 4 and 9 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 13 का संशोधन हम लेंगे।

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 13 में शब्द "Same" के स्थान पर "भारत सरकार की नीति" "Policy of the Government of India" रख दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 13 में शब्द "Same" के स्थान पर "भारत सरकार की नीति" "Policy of the Government of India" रख दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न स्थानापन्न प्रस्ताव रख दिया जाये :

"यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करती है।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 156 : विपक्ष में 69

Ayes 156 : Noes 69

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

हरियाना राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक
HARYANA STATE LAGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मै श्री यशवन्तराव चह्वाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि हरियाना राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों को राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

हरियाना राज्य में पिछले महीने राष्ट्रपति ने अपने शासन लागू करने की उद्घोषणा जारी की थी। उसका अनुमोदन संसद के दोनों सदनों ने किया है। अब उस राज्य के सम्बन्ध में कुछ कानून बनाए जाने हैं। राज्यपाल द्वारा कुछ अध्यादेश जारी किये गये हैं। उनको संसद द्वारा कानूनों में परिणित किया जाना है। यह कानून राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। यह पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति पहले भी कई बार खड़ी हो चुकी है। संसद की एक सलाहकार समिति के गठन का भी प्रस्ताव है। उसके 45 सदस्य होंगे। यह समिति राष्ट्रपति को राज्य के कार्यों के बारे में सलाह देगी। मुझे आशा है सभा इस विधेयक का अनुमोदन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि हरियाना राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों को राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : इस विधेयक में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सम्बन्ध है। राष्ट्रपति एक राज्य के सम्बन्ध में राज्यपाल की रिपोर्ट पर उद्घोषणा जारी करके अपना शासन लागू कर सकते हैं परन्तु क्या संसद उस राज्य के बारे में कानून बना सकती है। उस सम्बन्ध में संविधान के विभिन्न उपबन्धों का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

[**श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए**
Shri C. K. Bhattacharya in the Chair]

मैं जानना चाहता हूं कि संविधान के उपबन्धों का कैसे उल्लंघन हुआ है।

राव बीरेन्द्र सिंह के साथ बहुमत था। उन्हें अपनी शक्ति के परीक्षण का अवसर दिया जाना चाहिये था। विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिये था। इस बारे में न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी गई है। मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति में हम ऐसे मामलों पर विचार भी कर सकते हैं या नहीं।

सरकार ऐसे लोगों को राज्यपाल नियुक्त कर रही है जिन्हें चुनावों में जनता ने ठुकरा दिया है। उन लोगों का रवैया सदैव पक्षपात का रहेगा। चौथे आम चुनाव के बाद स्थिति बहुत बदल गई है। हमारे संविधान की असली परीक्षा अब हो रही है। हमें न्यायोचित व्यवहार करना चाहिये। दलबदल की प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा। यह कार्य 1957 में उड़ीसा राज्य में आरंभ हुआ था। जनता ने इस प्रवृत्ति को पसन्द नहीं किया है।

हरियाना में राव बीरेन्द्र सिंह ने कांग्रेस से खूब बदला लिया है। अब कांग्रेस राज्यपालों के द्वारा अनुचित लाभ उठाकर गैर-कांग्रेसी सरकारें समाप्त कर रही है। इस बारे में स्वतंत्र पार्टी ने एक प्रस्ताव पास किया है। पश्चिमी बंगाल में भी ऐसे ही किया जा रहा है। हरियाना में राज्यपाल ने दलबदल की प्रवृत्ति का सहारा लेकर मंत्रिमंडल समाप्त कर दिया है। मध्य प्रदेश में विधान सभा का सत्र चल रहा था और जब कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुमत का समर्थन प्राप्त न

रहा तो सत्रावसान कर दिया गया। मैं समझता हूं कि विधान सभा में शक्ति परीक्षण पहले होना चाहिए। राजस्थान में भी मुख्य मंत्री ने गड़बड़ की थी। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिये स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करनी चाहिए। आज विश्व की स्थिति को ध्यान में रखते हुये हमें बहुत सावधान होना है।

मैं समझता हूं कि सरकार को हरियाना को यह दण्ड नहीं देना चाहिये। मुझे पूरी आशा है कि हरियाना आगामी चुनावों में कांग्रेस को चित गिरायेगा। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I welcome this Bill. People of Haryana did not like this Government, that has now been removed. The people of Haryana are very brave people. They have proved this during the wars with China and Pakistan. Haryana has contributed a large number soldiers for our defence forces. It is the misfortune of people of Haryana that these unscrupulous people came into power there. I feel that these turn coats should not be allowed to form Government. Floor crossing should be deprecated by all. I can say that Congress will emerge as the sole victorions party in Haryana. The opposition parties have made a mess of things. We did not try to bring Congress into power by unfair means.

Now that Haryana has come under President's rule, it should be paid proper attention by the Central Government. The problems of this state should be solved by the Central Government. We should not be placed at the mercy of bureaucrats. The innocent people of Haryana should be treated in a very sympathetic way.

The teachers of Haryana are on strike. Their demands should be met and the demands of other Government servants should also be considered. Their pay should be raised.

Now I want to mention something about the custom of Haryana. The daughter is supposed to a member of her in-laws' family after her marriage. She severes all connections with her parents' property after marriage I request that necessary changes might be made in the Hindu succession Act.

Haryana is in dire need of irrigation water. We can produce foodgrains for entire India, if we are provided necessary facilities. Our farmers are very hard working. They can change the face of earth and can make India self-sufficient.

I feel that President's rule should last for 2 years in Haryana. This a unanimous demand of the people of Haryana. Let Parliament help the people of Haryana in ameliorating its lot. I feel Central Government will help Haryana in spheres. The meeting of the Consultative Committee should be convened more frequently and the members should visit Haryana every now and then. I trust Haryana will make tremendous progress.

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : I have objections over this Bill. I do not want that the elections in Haryana should be postponed. The Congress Ministers of Haryana were using public funds for personal gains. I think there is no need of this Bill if fresh elections are to take place shortly. I do not understand the wisdom in this.

The powers of legislation are with the Parliament but here powers are being given to the President. It will be a legislature within a legislature. Shri Randhir Singh has not understood

the scope of working of consultative committee. This proposal of delegation of legislative powers is against the spirit of democracy. President should be given such powers under special circumstances. Congress people have been condemning the floor crossing in Haryana but in Punjab they have supported this tendency. I cannot understand this logic. The elections in Haryana should be held in May. It should not be postponed. The Governor has said that Congress Party has not acted as a responsible opposition party. It is most objectionable. They should reconcile themselves with the verdict of the people. In Delhi they want to create difficulties in the way of Jan Sangh. We should all play a fair game.

Shri Shashibhushan Bajpai : (Khargone) Haryana is a backward State near Delhi. It is not only backward economically but industrially also. It has very few sources of income. It is so backward that it has to depend upon the Centre for its economic and industrial needs for at least another 50 years. We want that Haryana should be self dependent and for that purpose we should try to give her as much assistance as possible. It is backward socially also. Harijans are not allowed to draw water from public wells. It is, therefore, necessary that necessary improvement may be made. People of Haryana are very brave and they took active part in India's war of independence. Early election should be held in Haryana. I fully support this Bill.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Haryana is a small state. There is neither a power house nor a dam. It depends on other States for its electricity and irrigation. I want that a provision of 1 crore may be kept for kissan dam.

I want to draw your attention to the fact that Haryana is a small state and it is one of the reasons mainly responsible for its economic difficulties and backwardness. It is better if Haryana is merged with Delhi and a bigger state is formed. In that case it will be in a better position. It has not got its own power house or dam. That state requires a great deal of attendance and we should give it as much as assistance as possible. We are very much worried about Haryana's progress. We should give it assistance in the real sense. I hope that provision for dam should be made in the Budget.

श्री दी० चं० शर्मा : पिछले कुछ महीनों में हरियाना में जो घटनाएं घट रही हैं वे लोकतन्त्र का मजाक हैं। लोकतन्त्र की दशा पहले इतनी अधिक खराब नहीं जितनी अब। हरियाना में घटी घटनाओं को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। अतः हरियाना के राज्यपाल को इतनी हिम्मत से कार्य करने और लोकतन्त्र को बचाने के लिये बधाई दी जानी चाहिये।

हरियाना में महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि हरियाना का किसान देश के बहुत अच्छे किसानों में से है।

ऐसा कहना कि हरियाना के विकास करने में 50 वर्ष लगेंगे ठीक नहीं है। जैसे ही हरियाना में अच्छी सरकार बन जायेगी वह विकास की ओर अग्रसर हो जायेगा। हरियाना में निपुणता और प्रशासनिक कौशल की कमी नहीं है।

हरियाना के आर्थिक विकास के लिये अच्छी सरकार बनाई जानी चाहिये ऐसी सब योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना चाहिये जो राज्य के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक हैं। हमें उसे आत्म-निर्भर बनाना चाहिये।

राज्य-सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1967 को पास किये गये निम्नलिखित विधेयकों के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :

(1) विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1967

(2) विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1967

(3) मणिपुर विनियोग विधेयक, 1967

(4) हरियाना विनियोग विधेयक, 1967

(5) भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1967

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1967 को पास किये गये राज्य-भाषा (संशोधन) विधेयक, 1967 को राज्य सभा ने अपनी 22 दिसम्बर, 1967 की बैठक में बिना किसी संशोधन के पास कर दिया है।

हरियाना राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1967—जारी
HARYANA STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL—Contd.

श्री विश्वनाथन (वंडीवाश) : इस विधेयक को पास किये जाने के लिये किसी भी कांग्रेस सदस्य ने कोई ठोस तर्क नहीं दिया है।

कुछ सदस्यों ने हरियाना को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मिलाये जाने का सुझाव दिया है। इसका निश्चय वहां के लोगों को करना है। वहां राष्ट्रपति के शासन का कोई भी स्वागत नहीं करेगा।

विधेयक के पास किये जाने से स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। राज्यपाल ने सुझाव दिया है कि वहां कुछ अवधि के लिये राष्ट्रपति का शासन होना चाहिये। अतः वहां मध्यवर्ती चुनाव शीघ्र कराये जाने चाहिये। यदि वहां मध्यवर्ती चुनाव ही होना है तो इस विधेयक को पास करने की क्या आवश्यकता है।

इसमें हरियाना के लिये मंत्रणा समिति की व्यवस्था की गई है। हमें इसका केरल में अनुभव हो चुका है। यह समिति ठीक कार्य नहीं कर रही है। इस समिति के निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया है। विधेयक में यह कहा गया है "कि ऐसा अधिनियम लागू करने से पूर्व, राष्ट्रपति यदि उचित समझेगा तो वह समिति से परामर्श करेगा" हो सकता है राष्ट्रपति समिति से परामर्श करना उचित न समझे। अतः राष्ट्रपति को समिति से परामर्श करने के लिये बाध्य किया जाना चाहिए। सभा इस बात के पक्ष में है कि वहां यथाशीघ्र चुनाव किये जाने चाहिये अतः इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं है।

Shri Sheo Narain (Basti): Harijans are still being ill treated there. Early elections should be held in Haryana. So that the people may have a representative Government and the persons who have defected so frequently may learn a lesson.

Primary School teachers in Haryana are very hardly pressed. They should have full sympathy. Their reasonable demands should not be ignored.

Constituting a 45 members Parliamentary Committee to advise Government on matters concerning Haryana is a praise worthy steps. I have got full sympathy with the farmers of Haryana. I want that all facilities like water, food and clothes etc, should be provided to the farmers. They should also be provided agricultural facilities.

Shri Ramavtar Shastri (Patna): During the last 20 years there was Congress Party in power in the Country. Since it did nothing for the benefit of the workers and the farmers, people did not vote for it in the last elections and as a result of it non. Congress Governments were formed in several states, Congress developed capitalism. The capitalists and landlords want to continue the Congress rule in the country so that their insterests may be saved. It is as a result of the efforts of those people that non. Congress Ministries fell in various States.

Rao Ministry which enjoyed the majority in Haryana Assembly was dismissed by the Governor and that Assembly was dissolved so that there could be no trial of strength. This is like undemocratic. If we want to save democracy it is necessary that fresh elections should be held in the state as early as possible so that a reasonable Government may be established.

Shri Bhola Nath (Alwar): It is natural that Rajasthan people may have interest in Haryana because some works are common to Haryana and Rajasthan. Sahabi river flows in both the states. Nothing should be done which may result in sufferings to Rajasthan. 10 months old Rao Government have been a failure. Supplying of electricity has been delayed. Now when the President's rule has been introduced in that state it is hoped that such development works may be taken up without further delay. Active steps should be taken for the development of Haryana.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : केवल शंका के आधार पर ही विधानसभा का विघटन किया गया और मंत्रिमण्डल को समाप्त किया गया। पश्चिमी बंगाल में स्थिति भिन्न थी। यदि

सरकार का यह इरादा था कि हरियाना में चुनाव कराया जाये तो इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । ऐसी शंका की जा रही है कि सरकार हरियाना में चुनाव को एक लम्बी अवधि के लिये टालना चाहती है ।

मुझे दुख है कि जिन लोगों को जनता ने चुना उन्होंने ही सरकार को असंतुलित किया दोनों ही पक्ष शक्ति में आने का प्रयास कर रहे हैं । इस प्रकार के प्रयास बराबर राजस्थान, मध्यप्रदेश, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में किये जा रहे हैं । यदि सरकार शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहती है तो हरियाना के सम्बन्ध में काम चलाने के लिये यह आवश्यक है लेकिन उसे सातवीं अनुसूची की सूची 3 के अधीन शक्तियां प्राप्त नहीं करनी चाहिये इससे जहां तक राष्ट्रपति की शक्तियों का सम्बन्ध है ऐसा करने से असंगत स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat): President's rule has been welcomed in Haryana.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

I think it was the only solution of political corruption in Haryana. It was a blot on democracy. As a result of defections, democracy has become a mockery. A Commission to enquire into the cases of corruption indulged in during the administration of Rao Birendra Singh as well as that of Shri Bhagwat Dayal Sharma ; should be appointed. It was Bhagwat Dayal's Ministry which abolished prohibition.

Government should see that when some commission is appointed for some particular purpose, its recommendations should be accepted. Once a decision is given by the commission on a particular point, there is no necessity of raising that point again. Today I want a clear assurance from the centre that no decision should be taken regarding Chandigarh till a popular Government is formed in Haryana. Chandigarh University should be maintained as a Central University. So that it may function efficiently. There is no adequate representation given in the matter of services to the people of Haryana. They should be given adequate representation. Kissan dam should be completed as early as possible. If this dam is completed at an early date people of Haryana will be grateful to the Central Government.

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : यह ठीक है कि हरियाना का विकास ठीक प्रकार जब ही हो सकता है जब वहां विधान-सभा का गठन हो जाये । जब तक विधान-सभा का गठन नहीं हो जाता तब तक मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इसके विकास के लिये पूरा सहयोग देंगे । जैसा कि मैं अपने पहले वक्तव्य में भी बता चुका हूं कि कुछ अध्यादेशों से हरियाना के राजस्व में वृद्धि होगी और उन्हें संसद् में अधिनियमित करना पड़ेगा । संसद् के पास इस विधान को पास करने का समय नहीं है । अतः इस समिति के गठन की आवश्यकता अनुभव हुई । यह समिति उन सब पर विचार करेगी और उसे सभा में रखेगी । जब कभी सम्भव होगा राष्ट्रपति मंत्रणा समिति से परामर्श लेंगे । मुझे विश्वास है कि सभा के सब पक्ष इस बात से सहमत हैं कि ऐसा विधेयक आवश्यक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"हरियाना राज्य के विधान-मंडल की शक्तियों को राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब इस विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी। खंड 2 के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है :

प्रश्न यह है कि :

'खंड 2 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 2 was added to the Bill

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 5 और 6 प्रस्तुत करता हूं। मेरे संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची की सूची 3 में दिये गये अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। धारा 254 के अन्तर्गत यदि राज्य विधान सभा द्वारा पास किया गया अधिनियम संसद् द्वारा पास किए गए अधिनियम से मेल नहीं खाता तो उस सीमा तक वह क्रियान्वित नहीं किया जाएगा।

श्री के० नारायणराव : मेरे विचार से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 254 (2) में उल्लेख किया गया है कि जब एक विधेयक विधान सभा द्वारा पास किया जाता है और राष्ट्रपति ऐसी परिस्थितियों में अनुमति दे देते हैं तो संसद् द्वारा पास किये गये अधिनियम के स्थान पर विधान सभा द्वारा पास किया गया अधिनियम लागू माना जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हम संसद् को दिये गये सब अधिकारों को राष्ट्रपति को सौंप रहे हैं। यह एक साधारण विषय नहीं है। इस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए। राष्ट्रपति के लिये संविधान के अनुसार यह अनिवार्य है कि वह प्रत्येक अधिनियम को समिति को सौंपे। इसमें कहा गया है कि :

'राष्ट्रपति जब भी व्यावहारिक समझे समिति से परामर्श करेगा।' कोई विधेयक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है परन्तु राष्ट्रपति के अनुसार समिति से परामर्श लेना व्यवहारिक नहीं हो सकता। 'व्यवहारिक शब्द' का प्रयोग उचित नहीं है उसके स्थान पर 'आवश्यक' शब्द रखा जाना चाहिए।

श्री के० एस० रामास्वामी : यह तो आकस्मिक उपबन्ध है। जब इस प्रकार के पास किये गये अधिनियम संसद् के सम्मुख रखे जायेंगे तो संसद् को उन पर अवश्य विचार प्रकट करने की अनुमति दी जायेगी। अतः संसद् की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकेगा।

संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार "खंड (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी संसद् को सप्तम अनुसूची की सूची (1) में (जो इस संविधान में 'संघ सूची' के नाम से निर्दिष्ट है) प्रगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है"। राष्ट्रपति को केवल राज्य विधान सभा के मामलों में अधिकार प्राप्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 6 को मतदान के लिए सभा में प्रस्तुत करता हूं :

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

'खंड 3 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Motion was adopted

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री के० एस० रामास्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री स० चं० सामन्त : विधेयक के सम्बन्ध में गृह-मंत्रालय द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया का मैं विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

'विधेयक को पारित किया जाये'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

एकाधिकार तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा सम्बन्धी विधेयक, 1967
MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES BILL, 1967

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं श्री फख़रुद्दीन अली अहमद की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 21 नवम्बर, 1967 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 23 नवम्बर, 1967 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमति प्रकट करती है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप सामान्य हित के विरुद्ध आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण न हो, एकाधिकारों के नियंत्रण, एकाधिकारात्मक तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के निषेध और तत्संसक्त विषयों अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर यह सभा दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नाम निर्देशित किया जाये, अर्थात् :

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी

श्री बी० भगवती

श्री ओंकार लाल बोहरा

श्री बाल्मीकि चौधरी

श्री भारत सिंह चौहान

श्री एस० आर० दामानी

श्री सी० दास

श्री सी० सी० देसाई

महन्त दिग्विजय नाथ

श्री के० आर० गणेश

श्री विमलकान्ति घोष

श्री इन्द्रजीत गुप्त

श्री हेम बरुआ

श्री प्रभु दयाल हिम्मतसिंहका

श्री एम० एन० नाघनूर

चौधरी नीतिराज सिंह

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित

श्री अनन्तराव पाटिल

श्री एस० आर० राने

श्री रविराय
श्री जी० एस० रेड्डी
श्री ए० एस० सहगल
श्री एस० सी० सामन्त
श्री वी० साम्बशिवम्
श्रीमती सावित्री श्याम
श्री ईरा सेझियान
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी
श्री आर० उमानाथ
श्री फख्रुद्दीन अली अहमद"

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय कृपया बैठ जायें क्योंकि इस प्रकार अनुशासन को बनाये रखना कठिन होगा । प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रख दिया गया था और उसे सभा ने स्वीकार कर लिया था । जहां तक विधेयक के सम्बन्ध में प्रक्रिया का सम्बन्ध है, उसका अनुसरण करना हम सबके लिये अनिवार्य है ।

श्री स० मो० बनर्जी : सभा में डा० हजारे के प्रतिवेदन या एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । यदि उन्हें विधेयक के सम्बन्ध में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में कुछ कहना है तो मैं बोलने की अनुमति दे सकता हूं अथवा नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सम्बन्ध में मैं नियम प्रक्रिया तथा संहिता का नियम 376 और संविधान का अनुच्छेद 117 का उल्लेख करूंगा । अनुच्छेद 117 के अनुसार :

अनुच्छेद 110 के खंड (1) के (क) से (च) तक के उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिये उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुर:स्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा तथा ऐसे उपबन्ध करने वाले विधेयक को राज्य सभा में पुर:स्थापित न किया जायेगा ।

सामान्यता प्रथा यह है कि इतनी महत्वपूर्ण बात विधेयक को वित्त विधेयक घोषित किये जाने जाने के पश्चात् उसे राज्य सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जाना चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि डा० हजारे के प्रतिवेदन को सभा में क्यों पुर:स्थापित नहीं किया गया ।

श्री गाडिलिंगन गौड : मैं मंत्रणा समिति का सदस्य हूं। उसमें सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया था कि इस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए और विधेयक को संयुक्त समिति को सौंप दिया जाना चाहिये।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जब तक यह विधेयक अनुच्छेद 117 के अन्तर्गत नहीं आता यह वित्त विधेयक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्य से यह वित्त विधेयक के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री अमृतलाल नाहाटा : मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमृत नाहाटा अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि हमने कार्यमंत्रणा समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। सभा के लिये उसे स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। हम उसे पहले ही स्वीकार कर चुके हैं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 21 नवम्बर, 1967 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 23 नवम्बर, 1967 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमति प्रकट करती है कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप सामान्य हित के विरुद्ध आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण न हो, एकाधिकारों के नियंत्रण, एकाधिकारात्मक तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं के निषेध और तत्संसक्त विषयों अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर यह सभा दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उपरोक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित तीस सदस्यों को नाम-निर्देशित किया जाये, अर्थात् :

श्री गुलाम मोहम्मद बख्शी

श्री बी० भगवती

श्री ओंकार लाल बोहरा

श्री बाल्मीकि चौधरी

श्री भारत सिंह चौहान

श्री एस० आर० दामानी

श्री सी० दास

श्रीं सी० सी० देसाई

महन्त दिग्विजय नाथ

श्री के० आर० गणेश

श्री विमलकान्ति घोष

श्री इन्द्रजीत गुप्त

श्री हेम बरुआ

श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिंहका

श्री एम० एन० नाधनूर

चौधरी नीतिराज सिंह

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित

श्री अनन्तराव पाटिल

श्री शिवराम रंगो राने

श्री रविराय

श्री जी० एस० रेड्डी

श्री ए० एस० सहगल

श्री स० चं० सामन्त

श्री वी० साम्बशिवम

श्रीमती सावित्री श्याम

श्री इरा सेझियान

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह

श्री कृष्णदेव त्रिपाठी

श्री आर० उमानाथ

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) विधेयक, 1967

BIHAR AND UTTAR PRADESH (ALTERATION OF BOUNDARIES) BILL, 1967

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): I beg to move

"That the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of boundaries) Bill, 1967 may be discussed"

Mr. Deputy Speaker: It is not necessary to say anything in detail on this subject. I hope that the Hon. Members will agree to the fact that the agreement taken between the two states should be implemented in full.

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या हम इस विधेयक को पहले विधेयक की भांति पास नहीं कर सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। अतः हम इस विधेयक पर इच्छानुसार चर्चा कर सकते हैं। मैं माननीय संसद् कार्य तथा संचार मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि इस विषय पर चर्चा अगले सत्र तक स्थगित कर दी जाये।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। उस समय यह निर्णय किया गया था कि यदि समय हुआ तो इस विधेयक पर चर्चा की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में मंत्री महोदय के स्पष्ट विचार जानना चाहता हूं। मुझे चर्चा के लिये बहुत से सदस्यों से नाम प्राप्त हुए हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विधेयक को पहले ही सदस्यों में परिचालित किया जा चुका है। इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई विवाद भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस विधेयक पर शीघ्रता से चर्चा की जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय किया था कि यदि समय हुआ तो इस विधेयक पर चर्चा की जायेगी। मेरे विचार से इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये पर्याप्त समय है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सम्बन्ध में संसद् कार्य तथा संचार मंत्री की राय जानना चाहूंगा।

डा० रामसुभग सिंह : इसे स्थगित किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः इस विधेयक पर अब कोई चर्चा नहीं की जायेगी।

सभा अब अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned sine-die

Tej Kumar Press, Lucknow. 24-8-68—600.

P.L.S. 48. XI. 31. 67. (N)
600

© 1967 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
व्यवस्थापक, तेज कुमार प्रेस, लखनऊ द्वारा मुद्रित ।

© 1967 By the Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and
Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and
Printed By the Manager, Tej Kumar Press, Lucknow.